न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 58/2016

1 राजपाल उम्र 40 वर्ष पुत्र इन्द्राज सिंह जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 मोहनलाल उम्र 77 वर्ष पुत्र देबुराम।
1/1 अशोक पुत्र मोहनलाल।
1/2 प्रदीप पुत्र मोहनलाल।
1/3 जयप्रकाश पुत्र मोहनलाल।
1/4 सन्तोष पुत्री मोहनलाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी कमालसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
1/5 सुशीला पुत्री मोहनलाल पत्नी शिशराम।
1/6 बबीता पुत्री मोहनलाल पत्नी सतकीर समस्त जाति निवासीगण भोजासर तहसील व जिला झुंझुनू।
2 सुभाषचन्द्र उम्र व्यस्क पुत्र धन्नाराम।
3 मुकेश उम्र व्यस्क पुत्र रामचन्द्र।
4 श्रीमती रूकमणी उम्र व्यस्क पत्नी रामचन्द्र।
5 रामकुमार उम्र व्यस्क पुत्र मुरली।
6 इन्द्रचन्द उम्र व्यस्क पुत्र मुरली।
7 शिशपाल उम्र व्यस्क पुत्र मुरली।
7/1 सन्तोष पत्नी शिशपाल।
7/2 ओमप्रकाश पुत्र शिशपाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7/3 पवन कुमार पुत्र शिशपाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका का बास श्योपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
7/4 नितु पुत्री शिशपाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी स्परूपसर जिला सीकर।
8 मामराज उम्र व्यस्क पुत्र मुरली।
9 पतासी उम्र व्यस्क पुत्र हुक्मा।
10 रामनिवास उम्र व्यस्क पुत्र हुक्मा।
11 परमेश्वर उम्र व्यस्क पुत्र हुक्मा।
12 विधाधर उम्र व्यस्क पुत्र नोपाराम।
13 हरिराम उम्र व्यस्क पुत्र हरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका का बास (श्योपुरा) तहसील व जिला झुंझुनू।
14 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी मोहनलाल बनाम सुभाष वगैरह मुकदमा नम्बर 243/2012 दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम एंव बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2016

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार बोयल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 06.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम श्योपुरा में कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 79 तादादी 20 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 80 तादादी 16 बीघा, खसरा नम्बर 92/1 तादादी 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 92/2 तादादी 19 बीघा 16 बिस्वा मुरली, हुक्मा, हरलाल पुत्र गणपत एवं रामचन्द्र पुत्र मेघा पोता गणपत जाति जाट निवासी श्योपुरा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा की थी। मुरली, हुक्मा, हरलाल, मेघा चार भाई मेघा के एक लड़का रामचन्द्र हुआ इसके बाद मेघाराम का देहान्त हो गया। मेघाराम की पत्नी श्रीमती पतासी देवी ने अपने देवर उक्त हरलाल से पुन शादी कर ली इसलिए उपरोक्त भूमि में मुरली व हुक्मा का 1/2 हिस्सा तथा हरलाल एवं रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा रहा रामचन्द्र उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्सा का भी विभाजन से अलग काश्त करता था। रामचन्द्र ने दिनांक 23.05.1984 को अपने 1/2 हिस्सो की भूमि में से खेत खसरा नम्बर 88 के लगते 3 बीघा 17 बिस्वा का विक्रय पत्र वादी के हक में तस्दीक कर कब्जा करवा दिया। वादी को रामचन्द्र द्वारा बेची गई भूमि की सीमा वाद पत्र में दर्ज की है। वादी के खेत तथा रामचन्द्र के खेत के मध्य मिट्टी का टीला था वादी ने जमीन खरीदने के बाद में दोनों खेतों के बीच का टीला दिनांक 23.05.1984 को हटा लिया तथा अपनी क्रय की गई भूमि में मिला लिया उक्त भूमि का नजरी नक्शा संलग्न है। तत्कालीन कानून के तहत खसरा नम्बर के भाग का बेचान प्रतिबन्धित था इसलिए वादी के हक में भूमि का नामान्तकरण नही खोला गया। रामचन्द्र के अन्य सहखातेदारों ने ही आपसी सुविधा से अपने–अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कर रहा था। वादी रामचन्द्र से क्रयशुद्वा भूमि पर दिनांक 23.08.1984 से गत खसरा नम्बर 92 क,ख,ग,घ भाग पर काबिज है एवं आवासीय मकान तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

पशुओं का नोहरा बनाकर काम में ले रहा है। जिसे वर्तमान किश्तवार नक्शा में भी खसरा नम्बर 155 में क, ख,ग,घ गुलाबी रंग से दिखाया गया है। सेटलमेन्ट विभाग ने भी वादी के कब्जा की भूमि नक्शा किश्तवार में भूमि डोटेड लाईन से अंकित है सेटलमेन्ट के दौरान भूमि गत खसरा 79,80,92/1 एवं 92/2 के हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.97 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 2.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 230 रकबा 1.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 4.12 हैक्टेयर भूमि बने है। हुक्मा का देहान्त हो चुका है उसके वारिसान प्रतिवादीगण 8,9,10 है। मुरली के वारिसान 5,6,7 है, हरलाल के वारिसान देवकरण हरिराम एवं नन्दलाल व श्रीमती पतासी हुये चूकि उक्त देवकरण, नन्दलाल, पतासी ने अपने हिस्से का भूमि प्रतिवादी नम्बर 11 राजपाल को विक्रय कर दी है। इसलिए उसकी जगह राजपाल एवं हरिराम को ही प्रतिवादी बनाया गया है। मेवा के पुत्र रामचन्द्र का भी देहान्त हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 2,3 है। रामचन्द्र ने बाद में प्रतिवादी सुभाषचन्द्र तथा प्रतिवादी 12 को विक्रय की है। वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारे से अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। परन्तु चूंकि वादी का नाम 1984 में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रचलित कानून के तहत इन्तकाल नही भरा गया। वादी अनपढ़ काश्तकार है वादी का खरीद शुद्वा भूमि पर कब्जा है। लेकिन खातेदारी में नाम अंकित नही हुआ इसलिए यह घोषणा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने अपनी भूमि को विकसित करने के लिए दिनांक 01.09.2012 को शेखावाटी बैंक मण्डावा से ऋण लेने के लिए गया तो बैंक मैनेजर ने राजस्व रिकार्ड की नकल मांगी तो जमाबन्दी निकलवाई तब पता चला कि वादी द्वारा क्रयशुद्वा भूमि दिनांक 23.05.1984 वादी के नाम खातेदारी में दर्ज नही हुई है। इसलिए यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। कारण वाद दिनांक 12.09.2012 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर वादी को भूमि खसरा नम्बर 152,153,154,155,140,141,142,230 वाके मौजा श्योपुरा में से 0.97 हैक्टेयर हिस्सा का प्रतिवादीगण के साथ सह टिनेन्सी जोई–2 टिनेन्ट घोषित किया जावे। वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन नकल दावा भेजकर तारीख की सूचना दी गई। प्रतिवादीगण 7,8,12,13 बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 4,5,6,9,10,11 जरिये वकील उपस्थित आयें परन्तु जवाब दावा प्रस्तुत नही किया प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने जरिये वकील अपना जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी नम्बर 14 की तरफ से पैरोकार सरकार ने आज आदेशिका दिनांक 31.05.2013 को अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जा सकता है व राजस्व हानि न हो तो कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी नम्बर 11 राजपाल ने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया वादी की तरफ से दिनांक 05.01.2016 को एक शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश होने पर आगामी पेशी 13.01.2016 सुनवाई की निश्चित की जाकर प्रतिवादीगण को तारिख की सूचना जरिये समन दी गई। प्रतिवादीगण के समन तामील होकर प्राप्त हुये। जिनमें तामील प्राप्त मानकर आवाज लगाई गई परन्तु बावजूद तामील प्रतिवादी आज उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादीगण राजपाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की है। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 11 राजपाल की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र किस आधार पर लिया दर्ज नहीं किया तथा अपीलार्थी व अन्य प्रतिवादीगण की कोई तामील नहीं करवाई गई। बिना तामील करवाये मनमर्जी से निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो काबिले खारिज है। अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निर्णय बाबत थी। जिसको भी खारिज कर दिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिदावा खारिज किया उसकी कोई डिक्री नहीं बनाई जो निर्णय एक साथ होने थे उनको अलग–अलग कर दिये। अदालत मातहत ने अपने निर्णय के मुताबिक ना तो कोई प्रतिवादीगण की तामिल करवाई। दिनांक 05.01.2016 से 13.01.2016 के मध्य तामील सम्भव नहीं है तथा ना ही साक्ष्य सबूत में कोई शपथ पत्र लिये ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये अदालत मातहत ने अपनी मर्जी से दोष पूर्ण उद्वेश्य से वादी को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। यह विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 11 राजपाल वर्तमान अपीलांट जरिये वकील उपस्थित रहा है दिनांक 05.01.2016 को नजदीक तारीख पेशी हेतु आवेदन पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 13.01.2016 को नियत की गई है। दिनांक 13.01.2016 को अपीलांट राजपाल बावजुद तामील उपस्थित नही हुआ। अत विचारण न्यायालय ने उसके द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया एवं अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 28.01.2016 को वादी ने लिखित बहस पेश की है एवं दिनांक 10.02.2016 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नही की गई है। अत अपील के स्तर पर तामील अथवा एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्व कोई कथन करने का अधिकारी नही है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री को ही चुनौति दी गई है। काउन्टर क्लेम की कोई अपील नही की गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 11 राजपाल वर्तमान अपीलांट जरिये वकील उपस्थित रहा है दिनांक 05.01.2016 को नजदीक तारीख पेशी हेतु आवेदन पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 13.01.2016 को नियत की गई है। दिनांक 13.01.2016 को अपीलांट राजपाल बावजुद तामील उपस्थित नही हुआ। अत विचारण न्यायालय ने उसके द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया एवं अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 28.01.2016 को वादी ने लिखित बहस पेश की है एवं दिनांक 10.02.2016 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नही की गई है। अत अपील के स्तर पर तामील अथवा एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्व कोई कथन करने का अधिकारी नही है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री को ही चुनौति दी गई है। काउन्टर क्लेम की कोई अपील नही की गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर